रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239396
CG-DL-E-07102022-239396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4457]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 3, 2022/आश्विन 11, 1944
No. 4457]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4665(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-57 के कि.मी 227.0 पर एच ऐल पुल इसके आप्प्रोच कि.मी. 226.500 से 227.500 के साथ निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतदद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-57 के कि.मी. 227.0 पर एच ऐल पुल इसके आप्प्रोच कि.मी. 226.500 से 227.500 के साथ निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टोरेट, नयागढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH57 के कि.मी. 226.5 से 227.5 तक	उड़ीसा	नयागढ़	नुआगांव	1 नीलाद्रीपुर 2 विरुदा

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2022

S.O. 4665(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction of HL Bridge at km. 227/0 including approaches on NH-57 from km. 226/500 to 227/500 in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition for construction of HL Bridge at km. 227/0 including approaches on National Highway No. 57 from km. 226/500 to 227/500 in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Collector, Collectorate, Nayagarh ()	226.5KM To 227.5KM	ODISHA	NAYAGARH	Nuagaon	1 Niladripur 2 Viruda

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.07 16:01:06 +05'30'